भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2155

गुरूवार, 04 अगस्त, 2022/13 श्रावण, 1944 (शक)

आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री रोज़गार योजना

2155. श्री सुभाष चन्द्र बोस पिल्लीः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार प्रधानमंत्री रोज़गार योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले संपार्श्विक मुक्त ऋण को एक लाख रुपए से बढ़ाकर दो लाख रुपए कर देगी**;**

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है**;**

(ग) क्या सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश और उतरांचल के समान आंध्र प्रदेश राज्य को राजसहायता परियोजना लागत पर 15 प्रतिशत 15000 रुपये तक प्रदान कर सकती है**;** और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है**?**

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) सरकार द्वारा पहले लागू की जा रही थी और इसे दिनांक 01.04.2008 से बंद कर दिया गया था। पीएमआरवाई और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) नामक दो रोजगार सृजन योजनाओं, को मिलाकर, प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) नामक एक नई योजना तैयार की गई और इसे वर्ष 2008-09 से लागू किया गया। खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी),पीएमईजीपी के लिए राष्ट्रीय स्तर की एकल नोडल कार्यान्वयन एजेंसी है। राज्य स्तर पर यह योजना, केवीआईसी, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी), जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) और कॉयर बोर्ड (कॉयर इकाइयों के लिए) द्वारा कार्यान्वित की जाती है।

पीएमईजीपी के तहत, विनिर्माण क्षेत्र के तहत अधिकतम परियोजना लागत के लिए 50 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र के तहत 20 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता (ऋण) स्वीकार्य है। सामान्य श्रेणी के लाभार्थी, ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25% और शहरी क्षेत्रों में 15% की मार्जिन मनी सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/ट्रांसजेंडर/भूतपूर्व सैनिक/अन्यथा सक्षम/एनईआर/पहाड़ी, सीमावर्ती क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों आदि जैसी विशेष श्रेणियों के लिए मार्जिन मनी सब्सिडी, ग्रामीण क्षेत्रों में 35% और शहरी क्षेत्रों में यह 25% है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आदेशानुसार, एमएसएमई को रु. 10.00 लाख तक जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। तदनुसार, पीएमईजीपी योजना दिशानिर्देशों में भी यह प्रावधान है कि "पीएमईजीपी के तहत, एजेंसियों द्वारा उन्हें भेजे गए 10 लाख रुपये तक के ऋण से संबंधित परियोजनाओं के लिए आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप, बैंकों द्वारा किसी प्रकार की जमानत सुरक्षा पर कोई जोर नहीं दिया जाएगा"।

पीएमईजीपी योजना आंध्र प्रदेश राज्य सहित, पूरे देश में लागू है।

*****